न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 27/2020 **दायर तारीख :–** 19-03-2020

1. कमलेश
2. रामकरण
3. रामजीलाल

} पुत्रान भंवरा समस्त जाति स्वामी निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर

— प्रार्थीगण

बनाम

1. रामधन पुत्र जमन जाति अहीर निवासी मैड तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सीमांकन पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

उपस्थित : श्री घनश्याम गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री अनिल कुमार कौशिक, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 17.03.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम मैड के खसरा नम्बर 3192/0.26, 3269/0.24, 3274/0.25, 3310/0.19, 3311/0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर में प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/3, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/3 एवं प्रार्थी संख्या 3 का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश कमांक–30 दिनांक 30.05.2019 की पालना में दिनांक 12.06.2019 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी के दक्षिण डोल के सहारे लगते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की आराजी खसरा नंबर 3280, 3298 स्थित है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन प्रार्थीगण की आराजी की सीमा डोल को लेकर विवाद करते है तथा प्रार्थीगण की आराजी की सीमा को तोडकर प्रार्थीगण की आराजी को अपनी खातेदारी में मिलाते रहते है। प्रार्थीगण अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके मैड के खसरा नम्बर 3192/0.26, 3269/0.24, 3274/0.25, 3310/0.19, 3311/0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि पुलिस जाप्ता की उपस्थिति में सीमाकंन, पत्थरगढी एवं सीमा निश्यचकरण किए जाने के आदेश प्रदान करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तल्बी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमावन्दी ग्राम मैड खाता संख्या 653 संवत् 2074–77, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 12.06.2019, नक्शा ट्रेस ग्राम मैड, नकल जमाबंदी ग्राम मैड खाता संख्या 947 संवत् 2074–2077 आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके मैड के खसरा नम्बर 3192/0.26, 3269/0.24, 3274/0.25, 3310/0.19, 3311/0.17 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2074–2077 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थीगण की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थीगण की आराजी से कोई संवंध नहीं है। प्रार्थीगण ने तहसीलदार के आदेश क्रमांक–30 दिनांक 30.05.2019 की पालना में दिनांक 12.06.2019 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थीगण एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी विराट नगर, जयपुर

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थीगण की वर्णित् भूमि वाके मैड के खसरा नम्बर 3192/0.26, 3269/0.24, 3274/0.25, 3310/0.19, 3311/0.17 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)